राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण
नई दिल्ली। बुधवार • 24 फरवरी • 2021 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

कोरोना काल में निकल गई दाखिले की उम्र तो मिलेगी राहत

■ राकेश नाथ
नई दिल्ली। एसएनबी

कोरोना काल में किन्हीं कारणों से नर्सरी में दाखिले की तय आयु सीमा क्रास करने वाले बच्चों को एक माह की राहत दी गई है। यदि कोई छात्र नर्सरी में दाखिला लेना चाहता है और उसकी आयु चार साल से अधिक हो गई है तो पब्लिक स्कूल उसे एक महीने की राहत दे सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के प्राइवेट स्कूल ब्रांच के सहायक निदेशक (शिक्षा) योगेश पाल सिंह की ओर से इस आशय का सर्कुलर सभी पब्लिक स्कूलों को जारी किया गया है। पब्लिक स्कूलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में अपर एज और न्यूनतम आयु की सीमा में एक माह की राहत दे सकते हैं। सिंह ने बताया कि आयु सीमा को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय में दस्तक देना शुरू कर दिया था।

नर्सरी दाखिला

बच्चों को अधिकतम और न्यूनतम आयु में एक माह की राहत

शिक्षा निदेशालय ने पब्लिक स्कूलों को दिया अधिकार

इसलिए हमने अभिभावकों को राहत देने का फैसला किया है। राहत को पाने के लिए लिए अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन करना होगा। सिंह ने बताया कि नर्सरी की आयु सीमा 31 मार्च तक 3 से 4 साल तक है। लेकिन यदि किसी बच्चे की आयु चार साल से एक माह अधिक हो गई है तो उसे भी दाखिले के योग्य माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे की आयु दो साल 11 माह हो गई है और उसे नर्सरी में दाखिला दिलाना है तो उसे भी न्यूनतम आयु मे एक माह तक की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार केजी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 4 साल से 5 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें भी न्यूनतम और अधिकतम आयु में एक माह की राहत दे सकते हैं। इसी तरह पहली कक्षा में दाखिले की आयु 5 से 6 साल रखी गई है। यहां भी एक माह छूट की इजाजत दी गई है। पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रूमा पाठक ने शिक्षा निदेशालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बच्चों को राहत मिलेगी। केवल एक माह के कारण पूरा साल खराब नहीं होगा।